

सेवा में,

श्रीमान सम्बन्धित अधिकारी महोदय

विषय - पुत्री के RTE में चयन सूची के आधार पर एडमिशन दिलवाने व स्कूल द्वारा अवैध वसूली पर कानूनी कार्रवाई करने बाबत/

महोदय में प्रार्थी दिनेश मीणा निवासी पुरानी चुंगी आगरा रोड का रहने वाला हूँ मेरे द्वारा मेरी पुत्री गिनिका मीणा का वर्ष 2025-26 में आरटीई में क्लास pp3 में विद्यालय अपोलो ग्लोबल स्कूल बसंत विहार आगरा रोड पुरानी चुंगी जयपुर में आवेदन संख्या 1786317 में आवेदन किया गया जिसमें विद्यालय के संचालक विष्णु कुमार गुप्ता, विशाल शर्मा, प्रियंका गुप्ता मोबाइल नंबर 8387935099, द्वारा मेरी पुत्री का अपनी स्वयं की स्कूल में आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज में मेरा जाति प्रमाण पत्र मेरे निवास प्रमाण में में किरायानामा वह पपरिशिष्ट 6 फार्म वह अन्य दस्तावेज की मांग की गई जिसमें मेरे द्वारा समझ दस्तावेज विद्यालय पर ऑनलाइन पोर्टल पर भी प्रस्तुत किए गए जिनके आधार पर विद्यालय के डॉक्यूमेंट सत्यापन पर विभागीय द्वारा दस्तावेज सत्यापन की पश्चात मेरी पुत्री का RTE में सफलतापूर्वक प्रवेश विभाग द्वारा दिया गया

एडमिशन उपरांत स्कूल संचालकों द्वारा पुत्री के दो दिन स्कूल जाने के पश्चात मेरे से बच्ची के एडमिशन के नाम पर यह बताया गया कि सरकार इनको पैसे का भुगतान नहीं करती है तथा इनका 3 साल तक क्लास pp3 pp4 pp5 फीस 13000 का स्कूल को भुगतान करने के लिए कहा गया और साथ में यह भी कहा गया कि इसकी कोई रसीद अभी उसको संचालक द्वारा मुझे नहीं दी जाएगी यदि यह 3 साल तक भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी बच्ची का एडमिशन को किसी ने किसी कारण से रद्द कर दिया जाएगा लगातार फीस की मांग को लेकर मेरी बच्ची की पढ़ाई को विद्यालय संचालक को दोबारा मेरे फीस नहीं देने पर आए दिन परेशान करने लगे मेरी बेटी और मुझे डराना धमकाना आदि किया गया और कई बार तो जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया यहां तक की उनके विद्यालय में जितने भी रत एडमिशन क्लास में हुए हैं सभी अभिभावकों से उनके द्वारा अवैध फीस वसूली की जा रही है जो कि अभिभावकों से संपर्क कर कंफर्म किया जा सकता है इसको संचालकों द्वारा ही मुझे कॉल कर सूचना दी गई कि आपकी बच्ची का RTE में एडमिशन हुआ है जो पोर्टल पर भी प्रमाणित है तथा विद्यालय संचालक को द्वारा अवैध फीस वसूली की मांग पर मेरे द्वारा मना करने पर विद्यालय संचालकों द्वारा मुझे पर मेरी बेटी को डराया धमकाया जा रहा है कहा जा रहा है कि वह यदि पैसा नहीं देंगे तो वह किसी ने किसी कारण से इनका एडमिशन रद्द करवा देंगे तो कई बार तो उनके द्वारा कहा गया की जाति से नीचे है हमें बच्चों को नहीं ले सकते यहां केवल पैसे वालों का एडमिशन होता है ऐसा इसको संचालकों द्वारा कहा गया है मुझे जो कि प्रत्यक्ष में प्रमाण मेरे पास है तथा विद्यालय द्वारा जांच दल कमेटी के जांच करने पर मेरी बच्ची के दस्तावेज भी जांच दल कमेटी शिक्षा संकुल से

भी छिपा कर रखे हैं विभाग को मेरी बच्ची के समस्त दस्तावेज भी छिपा कर रखे गये है।

अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि मेरी पुत्री का ऑनलाइन पोर्टल प्रवेश के आधार पर मेरी पुत्री को शीघ्र एडमिशन दिलवाने की कृपा कर स्कूल संचालकों को पाबंद किया जावे और जो इसको संचलितों द्वारा सभी अभिभावकों से अवैध वसूली की जा रही है फीस की उसको शीघ्र रुकवाने का आदेश जारी किया जावे

दिनांक

दिनेश मीणा

निवासी पुरानी चुंगी आगरा रोड जयपुर